भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1585

दिनांक 20 सितंबर, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए

जीवन रक्षक औषधियां

1585. श्री सी.पी. जोशी:

श्री संगम लाल गुप्ता:

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में कितनी जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में कमी की गई है;

(ख) कीमतों में कमी का प्रतिशत-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का निकट भविष्य में और अधिक जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों को कम करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में जेनेरिक दवाइयों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)

(क) और (ख): "जीवन रक्षक दवाइयां" औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) में परिभाषित नही हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) में सूचीबद्ध और डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I में शामिल अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्यों का निर्धारण करता है।

मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली दवाइयों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(i) एनपीपीए एनएलईएम, 2011 के अन्तर्गत आने वाले 530 अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्यों का निर्धारण करता है। मूल्य निर्धारण से पहले व्याप्त अधिकतम मूल्य की तुलना में डीपीसीओ, 2013 के तहत प्रभावी अनुसूचित सम्मिश्रणों के मूल्यों में कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:

अधिकतम मूल्य के संबंध में % कमी	दवाओं की संख्या
0<= 5%	80
5<=10%	50

10<=15%	57
15<=20%	43
20<=25%	65
25<=30%	49
30<=35%	26
35<=40%	34
40% से अधिक	126
	530

(ii) इसके अलावा, डीपीसीओ, 2013 की अनुसूची-I को एनएलईएम, 2015 को अपनाते हुए संशोधित किया गया था। एनपीपीए ने एनएलईएम, 2015 के तहत 871 अनुसूचित सम्मिश्रणों के अधिकतम मूल्यों को निर्धारित किया है जिनमें मार्च, 2020 में हाल ही में 5 दवाइयों के निर्धारित किए गए अधिकतम मूल्य शामिल हैं। है। मूल्य निर्धारण से पहले व्याप्त अधिकतम मूल्य की तुलना में डीपीसीओ, 2013 के तहत प्रभावी अनुसूचित सम्मिश्रणों के मूल्यों में कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:

अधिकतम मूल्य के संबंध में % कमी	दवाओं की संख्या
0<= 5%*	241
5<=10%	138
10<=15%	99
15<=20%	100
20<=25%	92
25<=30%	69
30<=35%	46
35<=40%	26
40% से अधिक	60
एनएलईएम, 2015 में कुल सम्मिश्रण	871

(iii) एनपीपीए ने अब तक डीपीसीओ, 2013 के तहत 1373 नई दवाओं की खुदरा कीमत तय की है।

(iv) एनपीपीए ने जनहित में डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत 106 मधुमेह-रोधी और कार्डियोवैस्कुलर दवाओं की कीमतें तय कीं।

(v) एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत अनुसूचित फॉर्मूलेशन होने के नाते कार्डिएक स्टेंटों की उच्चतम कीमत निर्धारित की है जिसके कारण कोरोनरी स्टेंटों की कीमत में कमी आने से बेयर मेटल स्टेंट में 85 प्रतिशत और ड्रग इल्यूटिंग स्टेंटों में 74 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी।

(vi) एनपीपीए ने जनहित में डीपीसीओ के पैरा 19 के तहत आर्थोपेडिक घुटने प्रत्यारोपण की अधिकतम कीमत निर्धारित की है, जिससे आर्थोपेडिक घुटने के प्रत्यारोपण के लिए मूल्य में 69 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गयी।

(vii) एनपीपीए ने अवधारणा के प्रमाण के लिए मार्गदर्शन के रूप में "ट्रेड मार्जिन युक्तिकरण" दृष्टिकोण के तहत 42 कैंसर-रोधी दवाओं के गैर-अनुसूचित फॉर्मूलेशनों के व्यापार लाभ को तय किया, जिसमें 500 से अधिक ब्रांडों की दवाओं की कीमत 90 प्रतिशत तक कम हो गई थी।

(ग) और (घ): एनपीपीए द्वारा अधिकतम मूल्यों का निर्धारण किया जाना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। जब कभी भी राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) में सम्मिश्रणों को शामिल किया जाता है, एनपीपीए द्वारा उनके अधिकतम मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।

(ङ): एनपीपीए ने कोविड-19 महामारी से पहले और उसके दौरान जेनेरिक या ब्रांडेड आवश्यक दवाओं की वहनीय मूल्यों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे देश में लॉकडाउन अवधि के दौरान दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए समयबद्ध और प्रभावी कदम उठाए गए। जिससे देश भर में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सूचित की गई दवाओं की कमी का निपटान राज्य दवा नियंत्रकों के समन्वय में किया गया। भारत का औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) का कार्यालय भी महत्वपूर्ण दवाओं की उपलब्धता की निगरानी कर रहा है।

इसके अलावा, सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, औषध विभाग ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (पीएनबीजेपी) शुरू की है। इस योजना के तहत, नागरिकों को सस्ती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों (बीएमबीजेके) के रूप में विख्यात समर्पित आउटलेटों को खोला गया है। पीएमबीजेपी की उत्पाद टोकरी में सभी 37 प्रमुख चिकित्सीय समूह जैसे संक्रामक रोधी, एलर्जी रोधी, मधुमेह रोधी, कार्डियोवस्कुलर, कैंसर रोधी, गैस्ट्रो-आंतों की दवाइयां, न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि को कवर करते हुए 1250 दवाइयां और 204 सर्जिकल और उपभोज्य सामग्रियां शामिल हैं। इस समय, पीएमबीजेके में बिक्री के लिए 825 दवाइयां और 122 सर्जिकल और उपभोज्य सामग्रियां उपलब्ध हैं।

*****